

	<b>स्थानीय प्रधान कार्यालय, जयपुर</b> <b>LOCAL HEAD OFFICE, JAIPUR</b>	<b>e-Circular Letter</b> <b>Deptt.: GBU</b> <b>S.No. : 02/2019-20</b> <b>Date : 15.06.2019</b>
---	---	---

**सभी शाखाओं/ नियंत्रकों व स्थानीय प्रधान कार्यालय के विभागाध्यक्षों के लिए**

**ई-मित्र कियोस्कों के लिए नकदी हैंडलिंग प्रभारों की माफी**

राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग द्वारा राजस्थान सरकार के ई-गवर्नेंस पहल के अंतर्गत ई-मित्र पोर्टल बनाया गया है। एक ही स्थान पर सरकारी व निजी क्षेत्र की विभिन्न सेवाएं प्राप्त करने में नागरिकों की सुविधा व पारदर्शिता के लिए ये पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल में प्रत्येक जिले में कार्यरत हैं। राजस्थान में 60,000 ई-मित्रों में से 35000 से ज्यादा हमारे साथ बैंकिंग करते हैं।

2. राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग के अनुरोध पर सक्षम प्राधिकारी ने ई-मित्र कियोस्कों को नकदी हैंडलिंग प्रभारों की माफी निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की है :-

- क) ई-मित्र कियोस्क सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी वैध प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।
- ख) ई-मित्र कियोस्क का भारतीय स्टेट बैंक में न्यूनतम मासिक औसत शेष (MAB) रु. 10,000 / - के साथ चालू खाता (प्रॉडक्ट कोड रेगुलर 5011-2401 में ) हो।
- ग) ई-मित्र कियोस्क से जो राशि DOIT-Emitra (Rajcomp Info) में हमारी तिलक मार्ग जयपुर स्थित शाखा के पूलिंग खाता संख्या 61201212107 में अंतरित की जाएगी , केवल वही राशि नकदी हैंडलिंग प्रभारों की माफी के लिए ली जाएगी।
- घ) उपर्युक्त माफी दिनांक 01-04-2019 से दिनांक 31-03-2020 की अवधि के लिए लागू रहेगी।

3. कृपया तदनुसार संसूचित हों एवं परिपत्र की विषय-वस्तु से सभी परिचालन स्टाफ को अनुपालनार्थ निर्देश प्रदान करें।

(विनीत कुमार)

उप महाप्रबंधक (डीजिटल एवं टीबीयू)

	<b>स्थानीय प्रधान कार्यालय, जयपुर</b> <b>LOCAL HEAD OFFICE, JAIPUR</b>	<b>e-Circular Letter</b> <b>Deptt.: GBU</b> <b>S.No. : 02/2019-20</b> <b>Date : 15.06.2019</b>
---	---	---

**All Branches/Controlling Authorities and Departmental Heads at Head Office**

**Waiver of Cash Handling Charges for e-Mitra Kiosks**

The Department of Information Technology & Communication, Govt. of Rajasthan has developed e-Mitra portal under the e-Governance initiative of Govt. of Rajasthan (GOR). It has been implemented in all the districts of the state using public-private partnership (PPP) model for the convenience and transparency to citizens, in availing various services of Government and private sectors under the same roof. There are at present 60,000+ e-Mitras operating in the Rajasthan, of which 35000+ are banking with us.

2. At the request of the DOIT&C, Govt. of Rajasthan, we advise that the Competent Authority has accorded for waiver of cash handling charges of e-Mitra kiosks subject to following conditions:

- a) Valid certificate should be presented by e-Mitra kiosks, issued from DOIT&C, Govt. of Rajasthan.
- b) A Current account with Product code Regular(5011-2401) to be maintained by e-Mitra Kiosks in SBI with minimum MAB(Monthly Average Balance) of Rs.10,000/-
- c) The amount transferred from e-Mitra kiosks to DOIT-Emitra (Rajcomp Info) pooling account no 61201212107, maintained at our Tilak Marg branch, will only be considered for the calculation of wavier of cash handling charges.
- d) The above waiver will be applicable for the period of 01-04-2019 to 31-03-2020.

3. Please be guided accordingly and bring the contents of the circular to the notice of all operating staff for compliance.

(Vinit Kumar)  
Deputy General Manager (D & TB)